

कोडरमा सदर तिलैया 244 PREM KUMAR		
खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड में)
253	6813	0 एकड 3 डिसमील 0 हेक्टर

अराजी नकदी	अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली
------------	-------------	------------------------

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बावत	सालाना	बकाया				हाल (2024-2025)
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष (2022-2023)	१ ला वर्ष (2023-2024)	
माल (नकदी)	0.30			0.30	0.30	0.30
गुजारी (भावली)	0.08			0.08	0.08	0.08
सेस	0.15			0.15	0.15	0.15
सूद	0.15			0.15	0.15	0.15
मुतफरकात	0.06			0.06	0.06	0.06
मीजान	0.74			0.74	0.74	0.74

तफसील अदायकारी

अदायकारी बावत	बकाया				मोतालबा हाल (2024-2025)	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष (2022-2023)	१ ला वर्ष (2023-2024)		
माल (नकदी)			0.30	0.30	0.30	
गुजारी (भावली)			0.08	0.08	0.08	
सेस			0.15	0.15	0.15	
सूद			0.15	0.15	0.15	
मुतफरकात			0.06	0.06	0.06	
मीजान अदायकारी			0.74	0.74	0.74	

(१) मीजान कुल (लफजों में) : Two Rupees and Twenty Two Paise

(२) नाम देहिन्दा -

(३) कुल बकाया- 2.22

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : 01-07-2024

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

दो गज की दूरी का रखो ध्यान यही है कोरोना का समाधान।

Prem Kumar

JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD, JHUMRITILAIYA

HOLDING TAX RECEIPT

Receipt No. TRN65456106072024071239

Date : 06-07-2024

Ward No : 14

Department / Section : Revenue Section
Account Description : Holding Tax & Others
Application Type : New Assessment

SAF No. : SAF840526060724082038

Property Type : Vacant Land

Owner Name PREM KUMAR S/O KARMU GOSWAMI

Address : TARA TAND,
JHUMRITILAIYA, KODERMA Pin - 825409
MOB No : 9973716280

A Sum of Rs. 3892.00 (in words) Three Thousand Eight Hundred and Ninety-Two Only

towards Holding Tax & Others vide Cash

Dated 06-07-2024 Drawn on NA Place Of The Bank.

N.B. Online Payment/Cheque/Draft/ Bankers Cheque are Subject to realisation

Account Description	Period	Amount
Holding Tax Arrear	1 / 2016-2017 To 4 / 2023-2024	1208.00
Holding Tax Current	1 / 2024-2025 To 4 / 2024-2025	244.00
	Total	1452.00
	Rainwater Harvesting Tax	0.00
	Penalty Amount	2521.37
	Less: Waiver of Intrest (35 dated. 21.07.23)	9.15
	Rebate on current Demand	72.60
	Adjust amount	0.00
	Amount Received	3892.06
	Advance Amount	0.00



Signature of Collector



Note:-

- This is a Computer generated Receipt. This receipt does not require physical signature.
- Avail 5% rebate yearly Holding Tax Amount by paying the tax before 30th June of the Financial Year.
- without prejudice to land right
- Urban Development Tax bill will not be valid as proof of ownership.
- इस संपत्ति कर का बिल स्वामित्व के साक्ष्य के लिए मान्य नहीं होगा।

For Details Please Visit : suda.jharkhand.gov.in
or Call us at 18001204781

In Collaboration With
Ritika Printech Pvt. Ltd.

Prem Kumar

JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 1035085060724053542

Date : 06-07-2024

प्रभावी : प्रथम तिमाही 2022-2023

श्री/श्रीमती/सुश्री PREM KUMAR S/O KARMU GOSWAMI,
मोहल्ला TARA TAND JHUMRITILAIYA
KODERMA, 825409
9973716280

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं० - 0140000805000000 वार्ड सं० 14 हुआ है, आपके स्व० निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु० निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	61.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		61.00



नोट:-

- कर निर्धारण की सूची, JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कंडिका 11.4 के अलाके में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
- किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमारतों/दांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों/दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होल्डिंग नं० का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Prem Kumar